न्यायालय उप जिलाधिकारी–शामली, प्रबुद्धनगर।

वाद संख्या: 98 / 2011–2012
जैन कालिज ऑफ एजूकेशन बनत आदि — बनाम — सरकार
मौजा–बनत द्वितीय

धारा– 143 ज0वि0अधि0
परगना–शामली

आदेश

प्रस्तुत वाद जैन कालिज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन पुत्र नेमचन्द जैन निवासी सी0बी0 गुप्ता कालोनी शामली व जैन कालेज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा सचिव दीपक कुमार जैन पुत्र जियालाल जैन निवासी हनुमान रोड शामली जिला प्रबुद्धनगर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शामली की संस्तुति आख्या दिनांक 25.5.2012 के प्राप्त होने पर पंजीकृत हुआ। वादीगण के द्वारा अपनी भूमि खाता संख्या 679 खसरा नं0 2343मि क्षेत्रफल 0.522 है0 व खसरा नं0 2348 क्षेत्रफल 0.164 है0 कुल 2 किते रकबा 0.686 है0 लगान 27.55 रूपये स्थित ग्राम बनत द्वितीय को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई।

तहसीलदार शामली ने अपनी संस्तुति आख्या के साथ लेखपाल रिपोर्ट दिनांक 24–5–2012 एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 25–5–2012 इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गई । लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के क्रम में अपने बयान अंकित कराये गये । रिपोर्ट पर प्रदर्श क–1 तथा नकल खसरा पर पदर्श क–2 डाला गया। कि खाता संख्या 679 खसरा नं0 2343मि क्षेत्रफल 0.522 है0 व खसरा नं0 2348 क्षेत्रफल 0.164 है0 कुल 2 किते रकबा 0.686 है0 लगान 27.55 रूपये स्थित ग्राम बनत द्वितीय पर जैन कालिज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन पुत्र नेमचन्द जैन निवासी सी0बी0 गुप्ता कालोनी शामली व जैन कालेज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा सचिव दीपक कुमार जैन पुत्र जियालाल जैन निवासी हनुमान रोड शामली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है। मौके पर चारदीवारी बनी है। रिपोर्ट के अन्त में उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपने बयान दर्ज कराये जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट की पुष्टि की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि खाता संख्या 679 खसरा नं0 2343मि क्षेत्रफल 0.522 है0 व खसरा नं0 2348 क्षेत्रफल 0.164 है0 कुल 2 किते रकबा 0.686 है0 लगान 27.55 रूपये स्थित ग्राम बनत द्वितीय पर जैन कालिज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन पुत्र नेमचन्द जैन निवासी सी0बी0 गुप्ता कालोनी शामली व जैन कालेज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा सचिव दीपक कुमार जैन पुत्र जियालाल जैन निवासी हनुमान रोड शामली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है। मौके पर चारदीवारी बनी है। नकल खसरा के अवलोकन से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपने बयान में रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जानी उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार शामली की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण जैन कालिज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन पुत्र नेमचन्द जैन निवासी सी0बी0 गुप्ता कालोनी शामली व जैन कालेज ऑफ एजूकेशन बनत द्वारा सचिव दीपक कुमार जैन पुत्र जियालाल जैन निवासी हनुमान रोड शामली की भूमि खाता संख्या 679 खसरा नं0 2343मि क्षेत्रफल 0.522 है0 व खसरा नं0 2348 क्षेत्रफल 0.164 है0 कुल 2 किते रकबा 0.686 है0 लगान 27.55 रूपये स्थित ग्राम बनत द्वितीय परगना व तहसील शामली को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। प्रदर्श क–1 आदेश का अंग होगा। तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार शामली एवं उप निबन्धक तहसील शामली को भेजी जावे। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक 30–7–2012

(राम केवल तिवारी)
उप जिलाधिकारी–शामली
जिला–प्रबुद्धनगर।

नकल कर्ता—
तुलना कर्ता—
जाँच कर्ता—
दिनांक 13/8/12
नकल जारी करने का दिनांक 14/8/12

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार 14/8/12
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर
जिला - शामली

उप जिलाधिकारी शामली